



उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : पूर्णियाँ

आम निलामी सूचना

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सार्वजनिक निलामी के द्वारा वाहनों का जिनके निर्माता कंपनियों के नाम, मॉडल एवं निर्माण वर्ष निम्नानुसार है, की निलामी हेतु "जैसा है, जहाँ है के आधार" पर आवेदन दिनांक 31.08.2024 के पहले अथवा उक्त तिथि को अपराह्न 4.00 बजे तक आमंत्रित करता है। गाड़ियों के आरक्षित मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	शाखा	निर्माता	इंजन नं., चेचिस नं. रजि. नं.	निर्माण वर्ष	आरक्षित मूल्य (रूपया में)
1.	साजन कुमार ठाकुर पिता रामसेवक ठाकुर, पता - रसुलपुर, दहरिया माली, कटिहार- 854103	दलन	टाटा मोटर्स लि. एवं टाटा ACE Gold + Diesel BS-VI	700CCDI02EXXS75108, MAT559029NVF32412 BR039GB 0615	2022	393125/-

उपरोक्त गाड़ियों की सार्वजनिक निलामी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर हाता, कोशी कॉलोनी, पूर्णियाँ में दिनांक 02.09.2024 को प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच निम्नलिखित नियमों/शर्तों के तहत की जायेगी। 1. गाड़ियों का अग्रधन राशि आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत निश्चित किया गया है। 2. आवेदन के साथ गाड़ियों का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्णियाँ पर देय संलग्न होना चाहिए अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे और आवेदक को निलामी में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। 3. आरक्षित मूल्य से कम मूल्य में गाड़ियों की निलामी नहीं की जायेगी। 4. निलामी समाप्ति के बाद सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा एवं शेष रकम निलामी तिथि से 10 दिनों के अंदर भुगतान करना होगा। 5. सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को निलामी तिथि से 10 दिनों के अंदर पूरी रकम का भुगतान कर निलाम किये गये गाड़ियों को अपने स्वामित्व में ले लेना होगा अन्यथा उनके पक्ष में हुई निलामी को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई पूरी रकम को जब्त कर लिया जायेगा। 6. उपरोक्त गाड़ियों पर जो भी टैक्स/अधिभार आदि होगा वो क्रेता द्वारा देय होगा एवं गाड़ियों के हस्तान्तरण में होने वाले हर प्रकार के खर्च भी क्रेता को ही वहन करना होगा, इस संबंध में बैंक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 7. निलामी में विफल आवेदकों का अग्रधन राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर निलामी स्थल पर ही वापस कर दिया जायेगा। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले सहित किसी भी आवेदन को या पूरी निलामी को अथवा किसी भी गाड़ी की निलामी को बिना कारण बताए निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। 8. उपरोक्त गाड़ियों को खरीदने के इच्छुक क्रेता गाड़ियों के निरीक्षण हेतु संबंधित मुख्य प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, मो.-9297955179 अथवा वसुली विभाग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर हाता, कोशी कॉलोनी, पूर्णियाँ, मो.-7903748925 से सम्पर्क कर सकते हैं। 9. उपरोक्त सभी गाड़ियों के खरीद के लिए आवेदन जिसके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में गाड़ी निलामी लिखा हो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, श्रीनगर हाता, कोशी कॉलोनी, पूर्णियाँ के पते पर भेजे/जमा किए जा सकते हैं। 10. आवेदन के साथ आवेदक का पहचान पत्र (प्रमाणिक) आवश्यक है।

दिनांक : 01.08.2024

स्थान : पूर्णियाँ

प्राधिकृत अधिकारी

